

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

19.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3180 का उत्तर

उन्नत/सौदर्यीकृत/नवीकृत रेलवे स्टेशन

3180. श्रीमती संजना जाटवः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अब तक राज्यवार कितने रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/सौदर्यीकरण/नवीकरण किया गया है अथवा इनकी प्रक्रिया चल रही है;
- (ख) रेलवे स्टेशनों के उन्नयन/सौदर्यीकरण के लिए अब तक राज्यवार/मंडलवार कितनी निधि आबंटित और उपयोग की गई है;
- (ग) प्रत्येक स्टेशन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है और अब तक मंडलवार कितने प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है; और
- (घ) देश के विभिन्न राज्यों में रेलवे स्टेशनों पर लंबित कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत और चलायमान प्रक्रिया है और इस संबंध में निर्माण-कार्य सापेक्ष प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकता के अनुसार शुरू किए जाते हैं। बहरहाल, स्टेशनों के विकास/उन्नयन के

लिए निर्माण-कार्य को स्वीकृति देने और निष्पादित करते समय निम्नतर कोटि के रेलवे स्टेशनों की तुलना में उच्चतर कोटि के रेलवे स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है। इस समय, रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/विकास/आधुनिकीकरण 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत किया जा रहा है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुर लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म सायबान, स्वच्छता, निःशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामोदिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार रेलवे स्टेशन इमारत में सुधार, रेलवे स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि शामिल हैं और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी संकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1337 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है। 1202 अमृत स्टेशनों के विकासात्मक कार्यों के लिए निविदाएं प्रदान की गई हैं और निर्माण-कार्य शुरू कर दिए गए हैं। परियोजनाओं ने अच्छी निष्पादन गति दर्शाई है। उदहारण के लिए:

- राजस्थान राज्य के गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर, दोनों तरफ की रेलवे स्टेशन इमारतों के संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुके हैं, एयर कॉन्कोर्स के गर्डर लगा दिए गए हैं और

डेक स्लैबों की ढलाई हो चुकी है और पूरी छत एवं प्लेटफॉर्म शेल्टर आदि का निर्माण-कार्य शुरू किया जा चुका है।

- राजस्थान राज्य के जयपुर जंक्शन स्टेशन पर, बेसमेंट सहित द्वितीय प्रवेश इमारत के संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुके हैं और फुट ओवर ब्रिज, मुख्य साइड स्टेशन इमारत, एयर कॉन्कोर्स आदि का कार्य शुरू किया जा चुका है।
- राजस्थान राज्य के भरतपुर रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म सतह, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म शेल्टरों, शौचालयों के सुधार और नए यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) इमारत के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है और नए फुटओवर ब्रिज, प्रवेश द्वारमण्डप के निर्माण, परिचलन क्षेत्र में सुधार आदि का कार्य शुरू किए जा चुके हैं।
- राजस्थान राज्य के जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर, मुख्य स्टेशन इमारत के संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुके हैं, एयर कॉन्कोर्स और फुट ओवर ब्रिज के गर्डर लगाने और डेक स्लैब की ढलाई का कार्य पूरा हो चुका है और परिष्करण कार्य शुरू किए जा चुके हैं।
- राजस्थान राज्य के उदयपुर सिटी स्टेशन पर, पूर्व की ओर की स्टेशन इमारत के संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुके हैं और पश्चिम की ओर की स्टेशन इमारत, एयर कॉन्कोर्स, पूरी छत, फुट ओवर ब्रिज, स्कार्फिंग आदि के कार्य शुरू किए जा चुके हैं।
- महाराष्ट्र राज्य के नागपुर स्टेशन पर, पूर्व की ओर प्रस्थान और आगमन इमारत का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और एयर कॉन्कोर्स, पश्चिम की ओर प्रशासनिक इमारत, नए फुट ओवर ब्रिज आदि के निर्माण-कार्य शुरू किए जा चुके हैं।
- महाराष्ट्र राज्य के देवलालि स्टेशन पर प्रवेश द्वार और द्वारमण्डप, चारदीवारी, नया प्लेटफॉर्म शेल्टर, पार्किंग क्षेत्र और परिचलन क्षेत्र का विकास-कार्य, शौचालय, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म शेल्टर की व्यवस्था, लिफ्ट, बेहतर फर्नीचर, बागवानी कार्य, दिव्यांगजनों के लिए

सुविधाएं, प्रदर्श व्यवस्था, प्लेटफॉर्म सतह में सुधार और प्रकाश-व्यवस्था के कार्य पूरे हो चुके हैं।

- ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर स्टेशन पर, दोनों तरफ स्टेशन इमारतों का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है, एयर कॉन्कोर्स के गर्डर लगाए जा चुके हैं और एयर कॉन्कोर्स की छत, उत्थापित पहुँच मार्ग, फुट ओवर ब्रिज आदि के कार्य शुरू किए जा चुके हैं।
- ओडिशा राज्य के पुरी स्टेशन पर, बुर्ज की ऊंचाई तक स्टेशन इमारत के अग्रभाग का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और स्टेशन इमारत के पिछले हिस्से का संरचनात्मक कार्य शुरू किया गया है।
- बिहार राज्य के गया स्टेशन पर, पश्चिमी प्रस्थान और आगमन इमारत, पूर्वी प्रस्थान इमारत, पूर्व की ओर तीर्थयात्रा इमारत और बहुमंजिला दुपहिया वाहन पार्किंग के संरचनात्मक कार्य पूरे हो चुके हैं और सम्मिलन क्षेत्र, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर आदि के निर्माण-कार्य शुरू किए गए हैं।
- छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई स्टेशन पर प्रतीक्षालय, सम्मिलन क्षेत्र, प्लेटफार्म सतह, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, पहुँच मार्ग, नए प्रवेश द्वार का निर्माण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, प्लेटफार्म शेल्टर का विस्तार आदि के सुधार कार्य पूरे हो चुके हैं।

सामान्यतः अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन का वित्तपोषण योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार/क्षेत्र-वार। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत 12,994 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) का

आवंटन किया गया है तथा 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान 10,586 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया जा चुका है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा को अंतर्गत करते हुए जटिल स्वरूप का होता है और इसके लिए दमकल विभाग की स्वीकृति, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघनों को स्थानांतरित करना, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ और उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउनफिल्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अतः, इस समय कोई समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।
